

राजस्थान-सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, बाड़मेर

महावीर टाउन हॉल के पास, कलेक्ट्रेट रोड, बाड़मेर राज. 344001

क्रमांक : नविन्या / बाड़ / आयो. / 2018 / 990

दिनांक : 24.8.18

:: कार्यवाही विवरण ::

विषय :- ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति (एलपीसी) की 11वीं बैठक, अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2018 को प्रातः 11:30 बजे अध्यक्ष महोदया के कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, बाड़मेर
2. सचिव नगर विकास न्यास, बाड़मेर
3. उप नगर नियोजक (आयोजना), नगर विकास न्यास, बाड़मेर।

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य सचिव

इसमें प्रस्तुत प्रस्ताव/एजेण्डा पर विचार-विमर्श उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव 01 : राजस्व ग्राम बाड़मेर मगरा के खसरा संख्या 3292/1135, 3715/1135, 3906/1135 व 2137/1135 कुल रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक : विरात्रा बिल्डर्स, जरिये प्रतिनिधि श्री बाबूलाल सैनी पुत्र श्री मोहनलाल सैनी।

प्रकरण के तथ्य प्रकरण को ले-आउट प्लान की 10वीं बैठक दिनांक 31.07.2018 को प्रस्ताव सं. 5 पर अनुमोदित किया गया था, जिसके अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान को पटवारी द्वारा सीमांकन मय प्रमाणिकरण कर मंगवाया गया। उक्त ले-आउट प्लान की सीमाओं में खसरा अनुसार पटवारी की रिपोर्ट में भिन्नता उल्लेखित की गई, जिसके अनुसार प्रकरण को पटवारी की रिपोर्ट अनुसार संशोधित कर ले-आउट प्लान अनुमोदनार्थ पुनः प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव

1. प्रकरण में मौका स्थिति एवं पटवारी की सीमांकन मय प्रमाणिकरण रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग 30 फीट चौड़े कटान रास्ते से उपलब्ध होता है, जो कि मौके पर 50 फीट विद्यमान है। अतः उक्त मार्ग को न्यूनतम 60 फीट किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार सड़क मध्य से 30 फीट दूरी तक प्रार्थी की भूमि से सड़क मार्गाधिकार की चौड़ाई बाबत निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर संपरिवर्तन की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
2. प्रकरण में टॉउनशिप पॉलिसी, 2010 के मानदण्डोंनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान में संशोधन किया गया है, तदनुसार ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही उचित है।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार 2 हैक्ट. से कम क्षेत्रफल की योजनाएं जिनमें ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का प्रावधान नहीं दर्शाया हुआ है, में भूमि के विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावे। (ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. के प्रावधानों के क्रम में) अतः उपरोक्तानुसार राशि की सुनिश्चितता अनुमोदित ले-आउट प्लान के आधार पर भूमि शाखा द्वारा की जानी होगी।
4. प्रस्तावित योजना में भूखण्डों पर निर्माण कार्य प्रचलित भवन विनियमों अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन करवाने के पश्चात् करवाने होंगे।
5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमार्केशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा लिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट

	प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. योजना में दर्शाये/आरक्षित किये गये भूखण्डों को उनके आरक्षित प्रयोजनार्थ ही निस्तारित किया जावे। 7. राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों/निर्देशों/आदेशों अनुसार समस्त लागू शुल्क देय होंगे, जिसकी सुनिश्चितता भूमि शाखा द्वारा की जानी होगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित कर जारी किया जावे।
उपरोक्त तथ्यों, तहसीलदार, भूमि शाखा व आयोजना शाखा की अभिशंषा तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन मय रिपोर्ट अनुसार प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष उचित निणयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा व संशोधित ले-आउट प्लान का अवलोकन किया गया तथा भूमि शाखा व तहसीलदार की अभिशंषा एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन मय रिपोर्ट के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्ययन से सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव 02 : राजस्व ग्राम बाड़मेर मगरा के खसरा संख्या 3282/555 कुल रकबा 13-01 बीघा में से 8 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक : श्रीमती रतन कंवर एवं श्री गोविन्दसिंह।

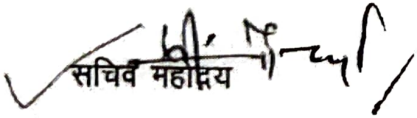
प्रकरण के तथ्य	1. आवेदित प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि की पत्रावली कार्यालय नगर परिषद, बाड़मेर द्वारा जरिये पत्रांक 2452 दिनांक 23.02.2018 को नगरीय विकास विभाग के पत्रांक : प. 3(50)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के परिप्रेक्ष्य में ले-आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही न्यास द्वारा किये जाने हेतु प्रेषित की गई। 2. प्रकरण में तहसीलदार, बाड़मेर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि नगर परिषद, बाड़मेर के नाम दर्ज है, जिसमें बिन्दु सं. 1 के अनुसार शेष कार्यवाही न्यास द्वारा की जानी है। 3. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग मौके अनुसार उपलब्ध है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। लेकिन न्यास कार्यालय द्वारा एम्पावर्ड समिति की प्रथम बैठक दिनांक 31.07.2018 को प्रस्ताव सं. 01 पर खसरा सं. 2521/556, 3583/556, 2520/556 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि का सुओ-मोटो आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित किया गया, जिसमें आरक्षित 40 फीट एवं तदनुसार मौके पर विद्यमान पहुंच मार्ग से उपलब्ध होता है।
प्रस्ताव	1. प्रकरण में मौका स्थिति, न्यास द्वारा पूर्व अनुमोदित योजना से एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उपलब्ध पहुंच मार्ग प्रस्तावित आवासीय योजना के क्षेत्रफल अनुसार उचित है। 2. प्रार्थी द्वारा निर्णय अनुसार संशोधित मानचित्र को पटवारी द्वारा खसरा अनुसार सीमांकन मय प्रमाणिकरण करवाया जाकर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा। 3. प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के मानदण्डोंनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, तदनुसार ही प्रकरण में संशोधित मानचित्र लेते हुए अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। 4. संबंधित विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता से दूरभाष पर वार्तानुसार प्रश्नगत भूमि से गुजर रही 33 केवी एच.टी. लाईन से प्रभावित है। अतः नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी (साईट ऑफ वे 5.8 मी.) छोड़ते हुए भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जावे एवं मानचित्र में दर्शाये अनुसार सुरक्षात्मक कॉरिडोर की मौके पर सुनिश्चितता की जावे। क्षमता के सत्यापन के लिए संबंधित विभाग से टिप्पणी लिया जाना आवश्यक होगा। यदि उक्तानुसार क्षमता में कोई परिवर्तन स्पष्ट होता है, तो तदनुसार सुरक्षात्मक कॉरिडोर

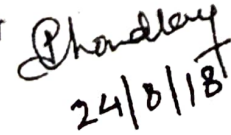
21/3

	का समायोजन किया जाना आवश्यक होगा। - मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल की योजनाएं जिनमें ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का प्रावधान नहीं दर्शाया हुआ है, में भूमि के विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावे। (ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. के प्रावधानों के क्रम में) अतः उपरोक्तानुसार राशि की सुनिश्चितता अनुमोदित ले-आउट प्लान के आधार पर भूमि शाखा द्वारा की जानी होगी। - राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों/निर्देशों/आदेशों अनुसार समस्त लागू शुल्क देय होंगे, जिसकी सुनिश्चितता भूमि शाखा द्वारा की जानी होगी। - प्रस्तावित योजना में भूखण्डों पर निर्माण कार्य प्रचलित भवन विनियमों अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन करवाने के पश्चात् करवाने होंगे। - योजना में दर्शाये/आरक्षित किये गये भूखण्डों को उनके आरक्षित प्रयोजनार्थ ही निस्तारित किया जावे। - अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमार्केशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा लिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। - उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित कर जारी किया जावे।
उपरोक्त तथ्यों, तहसीलदार, भूमि शाखा व आयोजना शाखा की अभिशंषा तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन मय रिपोर्ट अनुसार प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष उचित निणयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा व संशोधित ले-आउट प्लान का अवलोकन किया गया तथा भूमि शाखा व तहसीलदार की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्ययधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उपरोक्त कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


 24/08/2018
 उप नगर नियोजक एवं
 सदस्य सचिव एल.पी.सी.
 नगर विकास न्यास,
 बाड़मेर


 सचिव महोदय

अध्यक्ष महोदया

 24/8/18

RAY OUT PLAN OF KHASRA NO.3282/555 AT VILLAGE - BARMER MAGRA TEH.BARMER DIST.BARMER

k.no.
2521/556

ROAD 40'-0" W.

k.no.
2521/556

k.no.2509/555

"No Construction Zone" 423'-3"
safety corridor for 33 kV line

SCALE:-1"=50'

PART OF KHASRA
NO. 3282/555

k.no.3283/555

नोट: ये भाग दो भागों में PART - I व PART ABCD

ਮਾਃ: ਮੁਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ L.P.C ਦੀ ਸਲਾਹ ॥
 ਤਾਰੀਖ 24.8.18 ਈ ਅੰਕ ਨੰ-02
 ਪਦ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਃ

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
वाडमेर

नगर विकास न्यास, बाइपेर

LAND USE ANALYSIS			
AREA OF	Sq. Ft	Sq.Mtr	%
PLOTS AREA	8011.29	7526.18	58.12
FACILITY AREA	357.37	776.42	06.00
PARK AREA	569.94	638.27	04.93
ROAD AREA	4153.40	4009.05	30.95
TOTAL AREA	13932.00	12949.92	100.00